बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(अमीन)–02/2011 रा०–604(4) पटना–15, दिनांक–13/12/2013

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के जिलों, चकबंदी निदेशालय तथा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय हेतु अमीनो की भर्त्ती, एवं अन्य सेवाशर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**–इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो:–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ii) "सवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार अमीन संवर्ग ;

(iii) "उप–संवर्ग" से अभिप्रेत है अमीन संवर्ग से विभक्त उप संवर्ग;

(iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है जिला उप–संवर्ग के अमीनों के लिए सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता (जिला पदाधिकारी); चकबन्दी निदेशालय उप–संवर्ग के लिए निदेशक, चकबंदी बिहार, पटना; भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय उप–संवर्ग के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना;

(v) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार;

(vi) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार;

(vii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(viii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रील से 31 मार्च तक की अवधि ;

(ix) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से विशिष्ट वर्ष में उद्‌भूत रिक्ति।

3. **संवर्ग का गठन।**–(1) इस संवर्ग में अमीन के पद होंगे। अमीन संवर्ग तीन उप सम्वर्ग में विभक्त होंगेः–

(क) जिला उप संवर्ग

(ख) चकबंदी निदेशालय उप संवर्ग

(ग) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय उप संवर्ग

(2) नियुक्ति के समय आवंटित उप संवर्ग के बाद एक उप संवर्ग के पदों से दूसरे उप संवर्ग के पदों में पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

(4) **स्वीकृत बलों** की संख्या राज्य सरकार समय–समय पर घटा या बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा सेवा परिवर्तन कर सकेगी।

4. **उम्र सीमा।**–अमीन के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जाय।

5. **आरक्षण।**–इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. **नियुक्ति।**–(1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा–फल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

(2) जिला उप संवर्ग, चकबंदी निदेशालय उप संवर्ग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय उप संवर्ग हेतु अलग–अलग अधियाचना आयोग को उपलब्ध करायी जायेंगी तथा आयोग से अनुशंसा भी अलग–अलग प्राप्त की जायेंगी।

(3) अमीन की नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडियट (10+2) या समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र एवं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आई0टी0आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

7. **प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लिखित पाठयक्रम।**–अमीन की नियुक्ति हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होंगे, जिनका पूर्णांक 100 अंकों का होगा :–

(i) **प्रथम पत्र।**–सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान (50 अंक) एवं सामान्य हिन्दी (50 अंक)।

(ii) **द्वितीय पत्र।**—सामान्य गणित (50 अंकों का मैट्रिक स्तर) एवं अमानत से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए (50 अंक)।

8. **परिवीक्षा अवधि।**—(1) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी, यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ायी गयी अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।**—अमीनों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार, समय–समय पर, विनिश्चय करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार द्वारा किये गए विनिश्चय के आधार पर अमीनों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।**—सरकार समय–समय पर विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगी।

11. **सम्पुष्टि।**—परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगाः–

(i) यदि सरकार कोई विभागीय परीक्षा विहित की हो तो वह अवश्य उत्तीर्ण हो चुका हो;

(ii) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो;

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

12. **वेतनमान्।**—नवनियुक्त अमीन का वेतनमान–PB-1 (5200–20200) एवं ग्रेड पे–2000 या समय–समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुरूप होंगे।

13. **वरीयता।**—इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेधा सूची के तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया तथा नियुक्ति प्राधिकार के अधीन रहते हुए होगी।

14. **प्रकीर्ण।**—स्थापना सम्बंधी कार्यों का नियंत्रण–(1) इस सम्वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना सम्बन्धी सभी कार्य सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के अधीन होंगे।

(2) इस सम्वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा–सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना सम्बन्धी सभी विषय यथास्थिति, सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के अधीन होंगे।

15. **निरसन एवं व्यावृति**।–(1) विभाग में अमीन के पदों के लिए कोई पूर्व संधारित संवर्ग नियमावली नहीं है। विभाग से निर्गत नियुक्ति सम्बन्धी पूर्व परिपत्रों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में सरकारी परिपत्रों के अधीन की गयी नियुक्ति विधिमान्य बनी रहेंगी मानो वे इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन की गयी हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(अमीन)–02/2011 रा०– 604 (4)/रा० **पटना–15, दिनांक–** 13/12/**2013**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(अमीन)–02/2011 रा०– 604 (4)/रा० **पटना–15, दिनांक–** 13/12/**2013**

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी विभागीय निदेशालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(अमीन)–02/2011 रा०– 604 (4)/रा० **पटना–15, दिनांक–**13/12/**2013**

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस सूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव